किसानों के लिए भारत सरकार की योजनाएं

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना क्या है	लाभार्थी/पात्रता	आवेदन कैसे और कहां करें
1	**किसान ट्रैक्टर योजना** ***विस्तार से इस योजना का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है***	पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है पात्रता मानदंड को पूरा करने में सफल होते है तो उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50 फीसदी सब्सिडी राशि मुहैया कराएगी।	-भारत का स्थायी निवासी - उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। -वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख 50 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। -लघु@सीमांत कृषक की कसौटी के अंतर्गत होना चाहिए। -ट्रैक्टर लेने वाले कृषक के पास स्वयं की खेती अर्थात भूमि उनके नाम होनी चाहिए। -आवेदक को किसी और सब्सिडी स्कीम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।	आधार कार्ड वैलिड आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जमीन के लीगल दस्तावेज बैंक खाता विवरण श्रेणी प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो
2	**कृषि उड़ान योजना**	-किसानो को कृषि उत्पादन के परिवहन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी योजना में देश के किसानो की फसलों को विशेष हवाई विमानों के जरिये समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंहुचा दिया जायेगा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो के उत्पादों को कम से कम समय में सीधे बाजारों तक	-केवल भारत के स्थायी निवासी ही इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। -योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का किसान होना अनिवार्य है।	किसानो को इस योजना में पंजीकरण करवाना होगा सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा आपके सामने

	 विस्तार से इस योजना का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है	पहुँचाना है उड़ानों में कम.से.कम आधी सीटों को रियायती किराये पर दिया जायेगा		होम पेज खुल कर आ जायेगा इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुल कर आ जायेगा इस फॉर्म में आपको मांगी गयी जानकारी जैसे नाम आधार नंबर आदि को ठीक-ठीक भरना होगा सभी जानकारियों को ठीक ठीक भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा इस तरह से आपका योजना में सफलता पूर्वक आवेदन हो जायेगा आधिकारिक वेबसाइट **http://agriculture.gov.in/**
3	**पीएम किसान सम्मान निधि योजना**	-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रूपए प्रति वर्ष तीन किश्तों के रूप में प्राप्त होंगे और यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी	-छोटे व सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर, 4.9 एकड़/ से कम भूमि है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, परन्तु अब इस योजना के तहत	-योजना में आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा

	 विस्तार से इस योजना का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है	-बुआई के समय नगदी के संकट से जूझने वाले किसानों को इस प्राप्त राशि से बीज, खाद व अन्य जरूरत की चीज़ो को लेने में सुविधा उपलब्ध होती है	देश के सभी किसानों को न्यूनतम आय के रूप में 6 हज़ार रूपए की प्रतिवर्ष सहायता प्राप्त हो रही है	-आधार कार्ड बैंक पास बुक और जमीन के दस्तावेज जैसे जरूरी कागजो को ले जाना होगा -आवेदन शुल्क देना होगा -यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है केवल 10 से 15 मिनट में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी -अधिकारी वेबसाइट **pmkisan.gov.in/**आधिकारिक ई.मेल आईडी **(pmkisan-ict@gov.in)** प र जाकर भी अपनी शिकायत कर सकते है
4	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** 	-इस योजना के तहत वह किसान जो किसी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे. बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश आदि की वजह से उनको अपनी फसलों के बर्बाद हो जाने पर होने वाले नुकसान को देखते हुए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी है -इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है । इस योजना के लाभार्थी को खरीफ फसल का	अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन प्राप्त करने के पात्र हैं। फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए	-आवेदक का फोटो किसान का आई डी कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक खाता विवरण किसान एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोट, वोटर, कार्ड फसल की बुवाई के दिन की तारीख यदि खेत किराये

		2 प्रतिशत तथा रवि फसल का 1.5 प्रतिशत तक का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा		पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ के अनुबंध की फोटो कॉपी खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर का पेपर अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी,खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर अधिकारी वेबसाइट **pmfby.gov.in**
5	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** 	योजना के अंतर्गत देश के किसानो को अपनी खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों को खरीदने हेतु सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पानी की बचत, कम मेहनत और अन्य तरह के कार्यो के लिए सही तरह से बचत मिल सकेगी - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस समस्या को दूर कर किसानो को उनकी अच्छी फसल के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50,000 करोड़ रूपये की धनराशि को निर्धारित किया गया है योजना में लगने वाले खर्चे को केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वहन किया जायेगा	योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनिया, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। योजना का लाभ केवल उन किसानो को होगा, जिनके पास खुद की कृषि योग्य जमीन तथा जल संसाधन है। देश के सभी वर्ग के किसान इस योजना के लाभार्थी हो सकते है वह किसान जो न्यूनतम सात वर्षो से पट्टे के	आधार कार्ड पहचान पत्र आवेदक किसान की जमीन के कागज़ात जमीन की जमा बंदी/खेत की नकल बैंक खाता पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर योजना में आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते है

		इससे किसानो को ड्रिप/ स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा।	तहत उस भूमि पर खेती करता हो तथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा भी इस पात्रता को प्राप्त किया जा सकता है	**http://pmksy.gov.in/**
6	**प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना** 	**योजना में शामिल सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रीमियम भी देना होता है** **लाभार्थी जो 18 वर्ष के उन्हें हर माह 55 रूपये तथा जो लाभार्थी 40 वर्ष के हैए उन्हें 200 रूपये का प्रीमियम भुगतान करना होता है** **प्रीमियम का भुगतान करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु हो जाने पर उठा सकते है**	-इस योजना के अंतर्गत देश के वह सभी छोटे और सीमांत किसान जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 3000 रूपए की पेंशन धनराशि दी जाएगी -आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए -इस योजना का लाभ केवल वह किसान ही प्राप्त कर सकते है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होगी । योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसी लाभार्थी की यदि किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उस लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये प्राप्त होंगे। -इस योजना में सिर्फ देश के छोटे और सीमांत किसानो को रखा गया है 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि अवश्य हो आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए	आवेदक का आधार कार्ड आवेदक का पहचान पत्र आवेदक का आयु प्रमाण पत्र आवेदक का आय प्रमाण पत्र खेत की खसरा खतौनी बैंक खाते की पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो आधिकारिक वेबसाइट **https://maandhan.in/** हेल्पलाइन नम्बर **1800-3000-3468** पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है
		चार्ट में समझें आयु और किश्तों का विवरण		

प्रवेश आयु (वर्ष) (ए)	सुपरनेशन आयु (बी)	सदस्य के मासिक योगदान की राशि (सी)	केंद्र सरकार द्वारा मासिक योगदान राशि (डी)	कुल मासिक योगदान की राशि (कुल: C+D)
18	60	55.00	55.00	110.00
19	60	58.00	58.00	116.00
20	60	61.00	61.00	122.00
21	60	64.00	64.00	128.00
22	60	68.00	68.00	136.00
23	60	72.00	72.00	144.00
24	60	76.00	76.00	152.00
25	60	80.00	80.00	160.00
26	60	85.00	85.00	170.00
27	60	90.00	90.00	180.00
28	60	95.00	95.00	190.00
29	60	100.00	100.00	200.00
30	60	105.00	105.00	210.00
31	60	110.00	110.00	220.00
32	60	120.00	120.00	240.00
33	60	130.00	130.00	260.00
34	60	140.00	140.00	280.00
35	60	150.00	150.00	300.00
36	60	160.00	160.00	320.00

37	60	170.00	170.00	340.00
38	60	180.00	180.00	360.00
39	60	190.00	190.00	380.00
40	60	200.00	200.00	400.00

7	**किसान क्रेडिट कार्ड योजना** 	इस कार्ड की सहायता से किसानो को खेती से जुड़े उपकरणों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद के लिए किसानो द्वारा लिए जाने वाले महाजनो व् महंगे दरों वाले कर्जो पर होने वाली निर्भरता को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लागू किया है। किसानो को आसानी से खेती के लिए पर्याप्त ऋण/लोन, उपलब्ध हो जाता है, किसान कृषि से सम्बंधित सामग्री जैसे खाद /बीज, कीटनाशक आदि खरीद सकते है इसे किसी भी किसान के लिए को.ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण या पब्लिक सेक्टर के किसी भी बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए जाने वाले ऋण पर सरकार 2 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है और समय से चुकाने पर 3 प्रतिशत की छूट मिलती है, इस प्रकार किसान भाइयों को सिर्फ ऋण पर 4 प्रतिशत की दर ब्याज चुकाना होता है	किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण लेने पर कृषक की भूमि को बैंक द्वारा बंधक किया जा सकता है परन्तु आपकी भूमि को बैंक द्वारा तभी बंधक किया जा सकता है, जब आपकी ऋण राशि 1 लाख 60 हजार से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में 1,60,000 से अधिक का लोन लेने पर भूमि बंधक करने का प्रावधान किया गया है। यदि ऋण की राशि इससे कम है, तो भूमि बंधक नही की जाएगी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सिर्फ उन्ही किसानों को प्रदान की जाती है, जिनके पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होती है इस योजना के अंतर्गत कार्ड धारक किसान को 1 लाख से अधिक तक का ऋण लेने पर किसानो को अपनी जमीन सम्बन्धित सही-सही जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से देनी होती है, उसके बाद यदि आपके	किसान के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए -खसरा/खातौनी -पता सहित निवास प्रमाण पत्र -ऋण राशि ढेढ़ लाख से अधिक होनें पर तहसील से बना हुआ बारह्साला -नजदीकी बैंकों द्वारा प्रदत्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट -आवेदक का सिबिल स्कोर से 675 से अधिक होना चाहिए **किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक में जाकर प्रबंधक से संपर्क करें**

			दस्तावेज सही पाए जाते है तो आपके लिए लोन पास कर दिया जाता है । फिर किसान ऋण प्राप्त कर अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है । किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्ष तक की होती है।	
8	**पशु बीमा योजना** 	पशु बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना है। जिसके अंतर्गत देश के कुछ चुनिंदा जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है तथा यह योजना देश के 300 जिलों में रहने वाले पशुपालको को लाभ भी पंहुचा रही है। योजना आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य किसानो को उनके पशुओ के किसी कारणवश होने वाली मृत्यु से उनके पशुपालकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए की गई है	इस योजना के अंतर्गत देशी/संकर दुधारू मवेशियों को रखा गया है बीमें की क़िस्त 50प्रतिशत तक ही स्वीकृत की जाती है। यह पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा ही वहन होती है। योजना अनुदान का लाभ केवल दो पशु प्रति लाभार्थी को तीन साल की एक पॉलिसी के साथ ही प्राप्त होगा	सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट **http://dahd.nic.in** पर जाना होगा इसके बाद बीमा योजना एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर फॉर्म को खोल ले फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक-ठीक भर ले फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर सबमिट कर दे।
9	**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना**	इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालको को बैंक ऋण के साथ.साथ निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। मत्स्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 हेक्टेयर तालाब के निर्माण में लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आता है। जिसमें से कुल राशि का 50 प्रतिशत केंद्र	मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, निजी फर्म, फिश फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन- कंपनीज आदि लोन	मत्स्य पालन हेतु लोन लेने के लिए आपको किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करनें से पूर्व आपको मत्स्य विभाग द्वारा दिए

		सरकार, 25 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती है और शेष 25 प्रतिशत मछली पालक को देना होता है। यदि तालाब पहले से बना हुआ है, परन्तु मत्स्य पालन के लिए उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार के तालाबों के लिए भी सरकार खर्च के हिसाब से केंद्र और राज्य सरकार अनुदान देती है, जिसमें से 25 फीसदी मछली पालक को देना होता है	अर्थात ऋण के लिए आवेदन कर सकते है	जाने प्रशिक्षण को प्राप्त करना आवश्यक होता है और प्रशिक्षण के दौरान 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है। आवेदक का आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र यदि जमीन या तालाब का इंतखाप दो पासपोर्ट साइज की फोटो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रार्थी को शपथ पत्र देना होगा, कि वह बेरोजगार है यदि जमीन या तालाब पट्टे पर लिया है, तो शपथ पत्र इकरारनामा तालाब की नकल जमाबंदी एंव हक सिजरा पट्टा धनराशी की रसीद /फार्म 4 पर इकरारनामा मछली पालक और ग्राम पंचायत के बीच में नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत तालाब पट्टे पर देने के बारे में
10	**पीएम कुसुम योजना**	पीएम कुसुम स्कीम किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र	पीएम.कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर अर्थात	पीएम कुसुम योजना के लिए

		सरकार की नवीनतम योजनाओं में से एक है। भारत सरकार ने घोषणा की है, कि यह योजना किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत नामांकित सभी किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगी। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान 08 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर किसानों की निर्भरता को कम करने के साथ-साथ भारतीय किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसानों या डेवलपर्स से बिजली खरीदने के लिएप्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव @ 40 पैसे /kWhया 6.60 लाख/मेगावाट, वर्ष, जो भी कम हो, एमएनआरई द्वारा भारत की वितरण कंपनियों को पहले 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।	सौर उर्जा द्वारा संचालित पंप लगाने के लिए किसान, किसानों के समूह, पंचायत और सहकारी समितियां अप्लाई कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों या ग्रामीण भूस्वामियों को 25 वर्षों तक स्थिर और निरंतर आय प्रदान करना है। इसे बंजर या असिंचित भूमि के अच्छे उपयोग के लिए रखा जाएगा। खेती की भूमि के मामले मेंसौर पैनल इतनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैंए जिससे खेती करने में किसानों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो	पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं. एक व्यक्तिगत किसान किसान समूह किसान उत्पादकसंगठन या एफपीओ पंचायत सहकारिता जल उपयोग कर्तासंघ किसान का आधार कार्ड राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन की कॉपी ऑथराइजेशन लेटर जमीन की जमाबंदी की कॉपी मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरण पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ **www.mnre.gov.in** **1800-180-3333 पर टोल-फ्री सपोर्ट लाइन**
11	**स्माम किसान योजना**	केंद्र सरकार ने आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है किसानो को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे किसानो को	देश के वह सभी किसान जो स्माम कृषि योजना 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते है, वह इसकी आधिकारिक वेबसाइट **https://agrimachinery.nic.in/** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । इस योजना	देश के किसानो को ही इस योजना के पत्र माना जायेगा : आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र पहचान पत्र भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के

	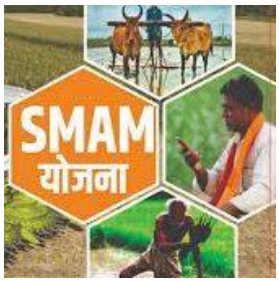	खेती करने में आसानी होगी तथा फसल की उपज भी अच्छी होगी, इसके साथ कम समय में अधिक काम कर पाएंगे । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही देश के किसानो को बेहतर उपकरण खरीदने के लिए सहायता प्रदान करना है	में देश के सभी किसानो को शामिल किया गया है । देश के किसी भी राज्य के किसान जो कि इस योजना की पात्रता रखते है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। -इस योजना में केवल देश के किसानो को ही शामिल किया जायेगा, -योजना के तहत देश के किसानो को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। -स्माम कृषि योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए देश के किसानो को योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद वह किसान सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर सकेगा । -इस योजना के माध्यम से किसान खेती के आधुनिक उपकरणों को आसानी से खरीद सकता है । उपकरणों की सहायता से फसल को सुरक्षित रखा जायेगा । -योजना का लाभ मुख्य रूप से (SC,ST,OBC) वर्ग के किसानो को प्राप्त होगा । किसानो की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही सहायता प्रदान की	लिए भूमि का अधिकार बैंक की पासबुक मोबाइल नंबर किसी भी आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी आधार कार्ड/चालक लाइसेंस कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट यदि आप किसी अनुसूचित जाती के है तो जाति प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो **https://agrimachinery.nic.in/** **कुछ राज्यों में किसी भी समस्या के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें** उत्तराखंड द 0135. 2771881 **उत्तर प्रदेश** 9235629348 0522.2204223 **राजस्थान** 9694000786 9694000786 **पंजाब** 9814066839 01722970605 **मध्य प्रदेश** 7552418987 0755.2583313 **झारखंड** 9503390555

			जाएगी ।	**हरियाणा** 9569012086
12	**ई - नाम योजना**	देश के किसानो को अपनी फसल बेचने में हर वर्ष होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा म्.छ।ड रेजिस्ट्रेशन नाम की योजना का आरम्भ किया गया, यह राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के नाम से भी जाना जाती है किसानो को हर वर्ष होने वाली समस्या जैसे फसल का उचित रेट न मिलना दलालो द्वारा बेचने पर समय पर पैसे न मिलना आदि शिकायते रहती है। इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है E-NAM पोर्टल किसानो को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है।	भारत के राष्ट्रीय कृषि व्यापार संघ और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही इस ई.नाम पोर्टल को लागू किया गया है E-NAM (National Agriculture Market) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है इसमें कृषि उत्पादों के लिए संघटित राष्ट्रीय बाजार को तैयार कर एपीएमसी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है	इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर विक्रेता के रूप में अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते है, तथा बेचीं गयी फसल की कीमत को सीधा अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते है। **ई.नाम पोर्टल में ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दास्तावेज** आधार कार्ड पहचान पत्र बैंक पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो **https://enam.gov.in/web/**
13	**मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**	इस योजना में देश के किसानो की भूमि की मिट्टी की जांच कर उसकी गुणवत्ता का अध्ययन कर उसके अनुसार फसल पैदा करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि किसानो को अच्छी फसल प्राप्त हो सके देश के किसानो तक मृदा	**मृदा स्वास्थ कार्ड के कार्य करने का तरीका** -खेतो का सैंपल एकत्रित किया जाता है -परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है -लेबोरेटरी में विशेषज्ञो	सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://soilhealth.dac.gov.in/पर जाना

	 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	स्वास्थ कार्ड पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है। इस कार्ड में मिट्टी की उपज और पोषण तत्वों की जानकारी सहित अन्य उवर्रको के बारे में जानकारी मौजूद होती है। यह योजना मुख्य रूप से देश के किसानो की जमीन का अध्ययन कर मिट्टी में उपस्थित सभी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। साथ ही किसानो को उनकी मिट्टी के स्वास्थ के अनुसार उपज करने की सलाह देना	द्वारा मिट्टी की जाँच कर मिट्टी के बारे में सभी जानकारियों को प्राप्त किया जाता है -जाँच के बाद विभिन्न मिट्टियो के सैंपल की शक्ति और कमजोरी की सूची तैयार की जाती है -मिट्टी में उपस्थित कमियों को जानकर उसके सुधार के लिए सुझाव देने के साथ उसकी सूची भी तैयार की जाती है -यह सब प्रक्रियाए पूरी होने के बाद रिपोर्ट को एक-एक कर किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है जो कि उस कार्ड में उपस्थित होती है -किसान अपने मोबाइल पर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है	होगा आपके सामने एक पेज खुल कर आ जायेगा जिसमे आपको अपने राज्य का चयन करना होगा स्टेट का चयन करने के बाद Continue बटन पर क्लिक करे, जिसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा यहाँ पर आपके सामने login फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको नये पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा । आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल कर आ जायेगा इस फॉर्म में आपको यूजर डिटेल्स,आदि जानकारियों को भरना होगा । सभी जानकारियों को भरने के बाद सबमिट कर दे, **https://soilhealth.dac.gov.in/**
14	**चारा और चारा विकास योजना**	केंद्र सरकार देश के लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग द्वारा चारा विकास योजना को चलाया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य	वर्तमान समय में चल रहे चारो घटको में चार प्रखंड निर्माण इकाइयों की स्थापना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया	

		चारा विकास हेतु राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करना है इसके लिए चारा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तिकरण इसमें लोगो को हाथ का इस्तेमाल कर कुट्टी काटने वाली मशीन से परिचित कराया जायेगा इसमें साइलो-संरक्षण इकाइयों की स्थापना की जाएगी	है । इसके साथ ही संरक्षित तृणभूमियो सहित तृणभूमि विकास हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि का रकवा 5-10 UW. रखा गया है	
15	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** v 	भारत देश की केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास होगा। देश की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा दिया जायेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों का समग्र तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो सकेगी देश के किसानो को वर्ष 2023 में पारम्परिक खेती की जगह उत्तम फल की खेती करने के लिए सरकार द्वारा किसानो को 25 से 50 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। इस सहायता अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसानो को ऑनलाइन आवेदन करना होगा	राष्ट्रीय कृषि एवं विकास योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र खाद्य फसल,गेहूं, धान मोटे अनाज छोटे कदनन दलहन तथा तिलहन राज्य के बीज फार्मो को सहायता समेकित कीट प्रबंधन योजना मृदा स्वास्थ्य कृषि यंत्रीकरण योजना पंधरा क्षेत्रों के अंदर तथा बाहर संचित फॉर्मिंग प्रणाली का विकास बागवानी उत्पादों को बढ़ावा विस्तार सेवन को बढ़ावा भूमि सुधारों के लिए विशेष प्रकार की योजनाओ का आरम्भ पशुपालन योजना किसानों के अध्ययन दौरे कार्बनिक तथा अभिनव योजनाएं	होम पेज में आवेदन वाले विकल्प परक्लिक करना होगा आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा यह आपका आवेदन फॉर्म होगा इस फॉर्म में आपको फॉर्म द्वारा पूछी गयी सभी जानकारियों को ठीक भरना होगा इसके बाद आपको सभी संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा इस तरह से आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवेदन पूर्ण हो जायेगा **http://rkvy.nic.in/**

16	**परंपरागत कृषि विकास योजना** 	केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का आरम्भ किया गया है योजना से तहत जैविक खेती को करने के लिए किसानो को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी / किसानों को सामूहिक दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणन प्रणाली के आधार पर ही उन्हें वित्तीय अनुदान प्रदान किया जायेगा, तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली के जरिये फसलों के आर्गेनिक होने की जांच के बाद ही यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी देश के किसानो को जैविक खेती के प्रति प्रेरित करना योजना के तहत 50 से अधिक किसानो का समूह जैविक खेती के लिए 50 एकड़ जमीन वाले समूह का निर्माण करेंगे और इसी तरह 5 लाख एकड़ वाले को क्षेत्र का आवरण करने के लिए 3 वर्ष के अंदर लगभग 10,000 समूह जैविक खेती के अंतर्गत बनाये जायेंगे **PKVY** योजना में किसानो को प्रमाणन पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना होगा 3 वर्ष के अंतराल में प्रत्येक किसान को बीज के लिए फसलों की कटाई तथा बाजार में परिवहन उपज के लिए 20,000 रुपये की राशि को प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी	इसके लिए लगभग 500 से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 20 से 50 किसानो का एक समूह बनाना होगा । प्रत्येक समूह को अधिकतम 10 लाख रूपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी, साथ ही च्छै सेर्टिफिकेट के लिए 4.95 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा	**https://pgsindia-ncof.gov.in/PKVY/index.aspx**
17	**किसान विकास पत्र योजना**	केंद्र सरकार देश के नागरिको को बचत के प्रति बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओ का आरम्भ करती	इस योजना को देश के किसान के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए भी लागू किया है, इसलिए	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का भारतीय निवासी

		आई है । ऐसी ही एक योजना किसान विकास पत्र को भी आरम्भ किया गया है । देश के वह नागरिक जो बचत नहीं कर पाते वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर बचत कर पाएंगे । योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लॉन्ग टर्म निवेश करना होता है । किसान विकास पत्र योजना एक तरह की बचत योजना है, जिसमे निवेश करने वाले व्यक्ति को निवेश अवधि के बाद दोगुनी रकम प्राप्त होती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को डाकघर या बैंक में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत निवेशक को 10 वर्ष 4 माह तक निवेश करना होता है, इसके बाद आपको आपके निवेश से दोगुना राशि प्राप्त हो जाती है।	इसमें देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है । किसान विकास पत्र योजना के लिए किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र को खरीदना होता है । इसमें आपको न्यूनतम 1,000 रूपए निवेश करने होते है, तथा अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती है किन्तु 50,000 से अधिक निवेश करने पर निवेशक के पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाती है किसान विकास पत्र योजना के तहत मौजूदा ब्याज की दर 6.9प्रतिशत है। इस हिसाब से 124 महीने बाद 6.9 प्रतिशत की ब्याज दर से निवेशक को दोगुनी राशि प्रदान की जाएगी	होना आवश्यक है आवेदक का बालिग 18 वर्ष होना जरूरी है यदि आवेदक नाबालिग है, तो उसके अभिभावक योजना में निवेश कर सकते है हिन्दू एकीकृत परिवार के सदस्य योजना में आवेदन नहीं कर सकते है आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर किसान विकास पत्र योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है **https://www.indiapost.gov.in/**

18	**राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना** 	इस योजना को शुरू करनें के मुख्य उद्देश्य स्वदेशी नस्ल के गौवंश तथा दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना तथा इन पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राण घातक बीमारियों से बचाना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदशी नस्लों के पशुओं के संरक्षण तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ानें पर कार्य कर रही है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी गौवंशीय पशुओं की नस्लों में सुधार करना, उनके संरक्षण तथा दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना है ।	इस योजना का लाभ प्राप्त करनें के लिए आवेदक को भारत का मूल निवासी होना आवश्यक है आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ छोटे किसान और पशुपालक ही आवेदन कर सकते है सरकारी पेंशन पाने वाले पशुपालको या किसानो को इस योजना के लिए पात्र नही माना जायेगा	
19	**डेयरी उद्यमिता विकास योजना** 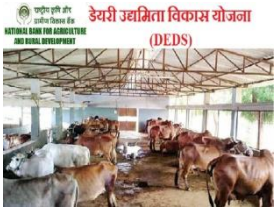	पशुपालको को गाय और भैंस खरीदने तथा उन्हें पालने के लिए सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जायेगा दूध का व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर पर होता है । यदि इसी दूध के व्यापार को डेयरी के तर्ज पर किया जाये तो इससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है यह प्रोत्साहन 33 प्रतिशत सब्सिडी लोन के तौर पर मुहैया कराया जायेगा दूध के बड़े व्यापार को करने के लिए अधिक धन की जरूरत होती है पशुपालको के पास पर्याप्त धन न होने की स्थिति में वह खुद की डेयरी नहीं आरम्भ कर पाते। ऐसे लोगो को केंद्र सरकार आर्थिक मदद के तौर पर 33 प्रतिशत की सरकारी सब्सिडी पर 7 लाख रूपए तक	भारत देश के सभी किसान व्यक्तिगत उद्यमी संगठित व् असंगठित क्षेत्र के समूह संगठित क्षेत्र का स्वयं सहायता समूह डेयरी सहकारी समिति दुग्ध संघ पंचायती राज संस्थाए	आवश्यक दस्तावेज़ जायदाद के कागज पहचान पत्र एड्रेस पूफ़ सिविल रिपोर्ट जाति प्रमाण पत्र इनकम टैक्स रिटर्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करने वाली संस्थाए सभी कमर्शियल बैंक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

		के ऋण को नाबार्ड बैंक के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है ।		राज्य सहकारी बैंक राज्य सहकारी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक अन्य ऐसे संस्थान जिनका नाबार्ड से संपर्क हो **https://www.nabard.org/**
20	**राष्ट्रीय बागवानी मिशन**	इस स्कीम के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनानें के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है इस मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का योगदान 35 से 50 प्रतिशत और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है	छोटे और सीमान्त किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन का लाभ । खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है । बागवानी के अंतर्गत उगायी जानें वाली फसलों की मांग बाजार में वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को विक्रय में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है । एक बार फसल उगानें के बाद किसान कई वर्षों तक फसलों का उत्पादन ले सकते हैं । खाद्यानिक फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में अधिक पोषण ।	**https://nhb.gov.in/**
21	**राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन**	भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत उपयुक्त अनुकूल और शमन उपायों का प्रयोग कर जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली में बदलने के	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में कार्य प्रकृति जलवायु परिस्थितयो के अनुकूल फसल का चुनाव करे पशु पालन,	

		लिए बाहरवीं पंचवर्षीय योजना चलायी जा रही है, जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है।	मछलीपालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी आदि को अपनाकर फसल/फसल-प्रणाली में विविधता उत्पन्न करे । जल भण्डारणो जैसे: चेक डैम, तालाबों, खेत तालाब, उथले ट्यूबवेलों, कुओ आदि को सिंचाई का साधन बनाये । सिंचाई करने की प्रभावी तकनीक भू.समतलीकरण, में ड़बंधी, कंटूर बांडिंग, खाई निर्माण, मल्चिंग, रिज एवं कुंड पद्धति जैसी कम जल प्रयोग करने वाली नमी संरक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करे	
22	**बीज ग्राम योजना** 	कृषकों की आय को दोगुना करनें के लक्ष्य को प्राप्त करनें के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है। यहाँ तक कि सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए नई-नई योजनाये लांच कर रही है, ताकि किसान भाई इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सके इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सरकार की तरफ से उच्चकोटि के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे बीज ग्राम योजना के तहत आस.पास के 2.3 गांवों के किसानों को मिलाकर दो से तीन समूह तैयार किये जाते है। प्रत्येक समूह में लगभग 60 से	बीज ग्राम योजना के अंतर्गत कृषकों को बीजों के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है। छोटे किसानों को बीज की बुवाई के लिए बीज पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है जबकि सामान्य कृषकों बीज पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर बीज दिए जाते है	किसान इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो उन्हें इसके लिए अपनें जिले के अंतर्गत आने वाले कृषि कार्यालय में जाकर जिला कृषि पदाधिकारी संपर्क करना होगा। इसके लिए आप अपनें नजदीकी कृषि सलाहकार से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। बीज ग्राम योजना से जुड़नें के लिए एक निर्धारित ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

		100 कृषकों को शामिल किया जाता है। किसानों को बीज की बुवाई से लेकर उसकी कटाई करनें तक कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है प्रामाणिक बीजों के उत्पादन के लिए किसी खास तरह की नहीं बल्कि सामान्य तरीके से ही खेती की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र से फाउंडेशन बीज लानें के बाद उन्हें साधारण तरीके से ही खेतों में बोया जाता है, सिर्फ किसानों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन बीजों में किसी अन्य फसल का बीज मिश्रित ना हों		प्रक्रिया है
23	**जैविक खेती प्रोत्साहन योजना** 	आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे है वर्तमान समय में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करनें के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस समय लगभग 27.77 लाख हेक्टेयर में जैविक कृषि की जा रही है और इस मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी जैविक खेती की जा रही है	भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है, जिसनें जनवरी 2016 में स्वयं को 100 प्रतिशत जैविक कृषि करनें वाला राज्य घोषित कर दिया था	इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जैविक खेती पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आने के बाद आपको बायर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको बायर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।